

कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

// आम-सूचना //

क./स.क./सहा.अधी./2026/ ५५२३

भिलाई, दिनांक 05/02/2026

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम भिलाई अंतर्गत भिलाई अंतर्गत भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड नगरपालिक निगम भिलाई का सम्पत्ति कर 9.13 करोड़ तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की राशि 12.92 करोड़, कुल राशि 22.04 करोड़ बकाया है। संपत्ति कर बकाया राशि की वसूली हेतु वर्ष 2024 से कुर्की वारंट जारी है तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की वसूली हेतु कुर्की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगरपालिक निगम भिलाई को देय उपरोक्त राशि निगम कोष में जमा हुए बिना एवं निगम से अदेय/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना यदि कोई व्यक्ति/निकाय भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड को क्रय करता है तो वह उपरोक्त 22.04 करोड़ रुपये मय ब्याज/अधिभार निगम कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। सूचना जाने।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई

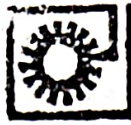
प्रतिलिपि :-

क./स.क./सहा.अधी./2026/ ५५२५

भिलाई, दिनांक 05/02/2026

1. जोन आयुक्त, जोन क्र.-05, नगरपालिक निगम भिलाई, को सूचनार्थ एवं भिलाई जेपी सीमेंट परिसर में चस्पा कराने हेतु।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम भिलाई, को सूचनार्थ एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशन कराने हेतु।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई



नगर पालिक निगम-भिलाई

किया जाएगा।

कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आम-सूचना//

क्र./स.क./सहा.अधी./2026/4423/431

भिलाई, दिनांक 05/02/2026

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम भिलाई अंतर्गत भिलाई अंतर्गत भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड नगरपालिक निगम भिलाई का सम्पत्ति कर 9.13 करोड़ तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की राशि 12.92 करोड़, कुल राशि 22.04 करोड़ बकाया है। संपत्ति कर बकाया राशि की वसूली हेतु वर्ष 2024 से कुर्की वारंट जारी है तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की वसूली हेतु कुर्की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगरपालिक निगम भिलाई को देय उपरोक्त राशि निगम कोष में जमा हुए बिना एवं निगम से अदेय/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना यदि कोई व्यक्ति/निकाय भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड को क्रय करता है तो वह उपरोक्त 22.04 करोड़ रुपये मय ब्याज/अधिभार निगम कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। सूचना जाने।

आर-कर 6/2/26

आयुक्त



कार्यालय नगरपालिक निगम भिलाई, जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आम सूचना

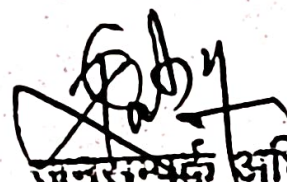
क्र./स.क./सहा.अधी./2026/4423/431

भिलाई, दिनांक 05.02.2026

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम भिलाई अंतर्गत भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड नगरपालिक निगम भिलाई का सम्पत्ति कर 9.13 करोड़ तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की राशि 12.92 करोड़, कुल राशि 22.04 करोड़ बकाया है। संपत्ति कर बकाया राशि की वसूली हेतु वर्ष 2024 से कुर्की वारंट जारी है तथा भवन अनुज्ञा/शमन शुल्क की वसूली हेतु कुर्की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगरपालिक निगम भिलाई को देय उपरोक्त राशि निगम कोष में जमा हुए बिना एवं निगम से अदेय/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना यदि कोई व्यक्ति/निकाय भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड को क्रय करता है तो वह उपरोक्त 22.04 करोड़ रुपये मय ब्याज/अधिभार निगम कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। सूचना जाने।

छत्तीसगढ़ 6/2/26

आयुक्त


जनरल सर्फ अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई